सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक–एफ.2(1397)सूप्रौ/संस्था/13/पार्ट–II/ ML-1170 जयपुर, दिनांकः 02/09/2017

नियुक्ति आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 (समय–समय पर संशोधित) के नियम–28 के अन्तर्गत सूचना सहायक की सीधी भर्ती के लिए जारी विभागीय विज्ञापन क्रमांक एफ. 2(1512)डीओआईटी/संस्था/13/I/6214/2013 दिनांक 25.04.2013 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर में दायर रिट संख्या एस.बी.सिविल 15594/2016 दिनांक 23.11.2016 एवं डी.बी. अपील संख्या 247/2017 दिनांक 18.04.2017 को पारित आदेश के अनुसरण में निम्नांकित अभ्यर्थी को प्रोविजनल रूप से अस्थाई आधार पर सूचना सहायक के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 11820/–प्रतिमाह (Fixed Remuneration to Probationer Trainees), एवं अधोलिखित शर्तों पर पदस्थापन विभाग / कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सशर्त नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

सूचना सहायक

क्र. स.	मेरिट क्रमांक	कर्मचारी का नाम व पिता का नाम (श्री /सुश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	आवंटित श्रेणी
1	4036	रश्मि अग्रवाल पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	5-02-1983	Open-Divorcee

नियुक्ति शर्तें

1. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
2. परीवीक्षाधीन अभ्यर्थी केवल ऊपर अंकित नियत पारिश्रमिक के हकदार होंगे तथा अन्य भत्तें जैसा विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता या अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
3. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही "सूचना सहायक" की वेतन श्रृंखला (पी.बी–1) 5200–20200 (ग्रेड पे नं. 10) ग्रेड पे–2800 में न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन (पुलिस वैरिफिकेशन) / स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर की जा रही है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी द्वारा पुलिस से चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
5. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. सेवा के दौरान राजकीय यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण की स्थिति में केवल माईलेज एवं अनुषांगिक प्रभार ही नियत/फिक्स्ड पारिश्रमिक पर ही देय होगा तथा स्थानान्तरण की स्थिति में सिर्फ वास्तविक यात्रा काल ही सेवा अवधि के लिये मान्य है।
7. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिन का अकास्मिक अवकाश देय होगा और कलेण्डर वर्ष से कम अवधि में पूर्ण वर्ष के सेवा माह की अवधि के अनुपात से अकास्मिक अवकाश देय होंगे।
8. यदि सरकार की राय में उपरोक्त सूचना सहायक का कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि प्रकरण विशेष में सूचना सहायक होने की क्षमता नहीं है तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से तुरन्त विमुक्त कर दिया जायेगा।
9. परिवीक्षा काल में कोई वार्षिक वृद्धि देय नहीं होगी।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13 (1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 23.04.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, के अधीन सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगें।
11. वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 16 (5)एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक 13–3–2006 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ देय नही होगा।

उपर्युक्त सूचना सहायक के पदस्थान आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

(ए.एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

P.T.O.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2 तकनीकी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
3 कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
4 प्रभारी अधिकारी (वैबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर। यह आदेश इस विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा।
5 कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, कोटा।
6 संबंधित सूचना–सहायक को पंजीकृत डाक द्वारा पालनार्थ ।
7 संबंधित निजी पत्रावली।
8 लेखा शाखा (मय अतिरिक्त प्रति के)।
9 रक्षित पत्रावली।

02/09/17

प्रभारी अधिकारी, संस्थापन